1 स्क्रीनिंग साक्षात्कार

"दि लिटल इंटरव्यू"

UK

यदि आप ब्रिटेन में शरण लेना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए "आय वॉन्ट टु क्लेम असाइलम'। स्क्रीनिंग साक्षात्कार आमतौर पर आपके यूके पहुँचने के कुछ ही समय बाद कर लिया जाता है। कभी-कभी यह उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप पहुँचे हैं। आप थके हुए और परेशान हो सकते हैं। बहुत से लोगों को साक्षात्कार से पहले वकील से बात करने का अवसर नहीं मिल पाता। आप तैयार रहिए। साक्षात्कार रिकार्ड नहीं किया जाता है। यह फोन पर हो सकता है और एक दुभाषिया भी फोन पर उपस्थित हो सकता है। यह बहुत जरूरी है की आप छोटे, सरल और स्पष्ट वाक्यों में बोलें (यूके होम ऑफिस के साक्षात्कारकर्ता शायद आपकी हर बात नहीं लिखेंगे)। सबसे महत्वपूर्ण सूचना ही दीजिए, आप बाद में अपने बड़े एसाइलम इंटरव्यू ("दि बिग इंटरव्यू") में अधिक विवरण दे सकते हैं।

दुभाषिया और भाषा	यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो साक्षात्कारकर्ता को **अवश्य** बताएं। आपको अधिकार है की आपको एक दुभाषिया दिया जाए जो आपकी चुनी हुई भाषा में इस प्रकार बात समझा सके की आपको ठीक से समझ में आए। उदाहरण के लिए, यदि आप सोरानी, अंग्रेजी और अरबी बोलते हैं, तो आप वह भाषा चुन सकते हैं जिसमें आप बात करना पसंद करेंगे।
नाम	अपना पूरा नाम बताएं, और परिवार के उन **सभी** सदस्यों के भी जिन्हें आप अपने साथ लाना चाहते हैं।
जन्मतिथि	अपनी जन्मतिथि का अनुमान न लगाएँ - यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको सही तारीख नहीं पता है, तो बताएं कि आपको अपनी उम्र कैसे पता है।
अवयस्क (18 से कम)	**अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है** तो आपको अपनी उम्र के बारे में जितना संभव हो उतना विस्तार से बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि आप क्यों निश्चित हैं, जैसे कि मैंने रमजान के ठीक बाद अपना देश छोड़ दिया था जब मैं 15 साल का था इसलिए अब मैं 16 साल का हूँ। यदि होम ऑफिस यह स्वीकार नहीं करता है कि आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो वे आपको वयस्कों के साथ किसी होटल या डिटेन्शन सेंटर में ले जा सकते हैं। अगर आपको वयस्कों के साथ किसी होटल में ले जाया जाता है, तो होटल के कर्मचारियों को अपनी उम्र बताएं, डॉक्टर से मिलने के लिए कहें, किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो किसी संगठन के लिए काम कर रहा हो, आप मदद के लिए कोई वकील ढूँढ़ सकते हैं। अगर आपको हिरासत में लिया गया (डिटेन किया गया) है, तो आपको जल्द से जल्द मेडिकल सेंटर, वहाँ के कर्मचारियों और आपको जमानत न मिलने तक (आपके मुक्त होने तक) अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी उम्र बतानी चाहिए।
क्या आपको रहने की जगह चाहिए	यदि आप निश्चित न हों कि आप अपने दोस्तों/परिवार के साथ रह सकते हैं, तो शरण आवास (असाइलम एकोमोडेशन) में रहने के लिए कहें । यदि आपने पहले मना कर दिया तो बाद में तने की जगह मिलना कठिन है।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य	यदि आप इतने अस्वस्थ हैं कि साक्षात्कार नहीं दे सकते तो पहले ही बता दें। यदि आपको शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारकर्ता को बता दें। क्या आप बहुत चिंतित रहते हैं? क्या आपको घबराहट हो रही है? क्या आपको सोने में दिक्कत होती है या डरावने सपने आते हैं? क्या आप अक्सर गुस्से में या दुखी रहते हैं? क्या आपको दूसरे लोगों से बातचीत करने में मुश्किल होती है? ये सभी खराब मानसिक स्वास्थ्य की निशानियाँ हैं। साक्षात्कारकर्ता को बताएं। अपने साक्षात्कार के बाद जितनी जल्दी हो सके इलाज के लिए एक जी पी के पास रजिस्टर करें। यदि आपको हिरासत में लिया गया (डिटेन किया गया) है तो जितना जल्दी हो सके मेडिकल सेंटर जाएं और सुनिश्चित करें कि आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रिकॉर्ड की जाएं।

आपका हिरासत का इतिहास	क्या आप कभी जेल गए हैं और आपके साथ बुरा व्यवहार किया गया है? ऐसा आपके अपने देश में या यात्रा के दौरान हुआ हो सकता है। साक्षात्कारकर्ता को बताएँ। उन्हें यह भी बताएँ कि क्या आपको कभी आपकी सरकार या किसी अन्य समूह या व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित (टॉर्चर) किया गया है।
आपकी यूके तक यात्रा	आपसे पूछा जाएगा कि किन देशों से होकर आए और क्या आपने दूसरे देशों में शरण लेने या शरणार्थी का दर्जा पाने के लिए अर्जी दी थी। यदि आप यह ठीक-ठीक नहीं बताते हैं, और बाद में इनके बारे में पता चलता है तो इससे आपके केस को नुकसान पहुँच सकता है। यदि वे आपसे पूछते हैं की आपने किसी दूसरे देश में शरण क्यों नहीं ली तो आप बतला सकते है कि क्या आपको वहाँ शरण लेने की प्रक्रिया का पता नहीं था या क्यों आप वहाँ रहने में सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर रहे थे।
आप यूके क्यों आए?	यह पूछे जाने पर कहिए: “शरण लेने (टू क्लेम असाइलम)” कोई दूसरा कारण नहीं बताइए, सिर्फ यही कहिए।
संक्षेप में बताएं कि आप अपने देश क्यों नहीं लौट सकते	बहुत ही संक्षेप में बताएँ: • आपके साथ पहले क्या हुआ -- आपने अपना देश क्यों छोड़ा? • यदि आपको हिरासत में लिया गया था या आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ था तो बताएँ. • ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण समझाएं. क्या यह आपकी जाती, आपके धर्म या आपके राजनीतिक विचारों के कारण हुआ? क्या आप किसी विशिष्ट सामाजिक समूह या जनजाति के सदस्य हैं? क्या आप LGBTQ+ के रूप में अपनी पहचान रखते हैं? • यदि आप घर वापस लौट जाएँ तो क्या होगा?
मानव तस्करी	साक्षात्कारकर्ता यह समझने की कोशिश करेगा कि क्या आप मानव तस्करी के शिकार हैं। इसका मतलब है कि क्या आपको कभी ऐसी जगह जाने के लिए मजबूर किया गया है जहाँ आप जाना नहीं चाहते थे; क्या आपको बिना पैसे दिए काम करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसमें ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर होना भी शामिल है; क्या आपको किसी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया है; क्या किसी ने आपको एक जगह पर रखा है और आपको वहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी गई है? यह बताना जरूरी है चाहे यह आपके अपने देश में हुआ हो या आपकी यात्रा के दौरान (उदाहरण के लिए लीबिया)।
न्याय तक पहुँच	आमतौर पर इस साक्षात्कार से पहले आपके पास वकील से बात करने का समय नहीं होगा; आप यह कह सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना

भविष्य में दिए गए साक्षात्कारों और पिछले बयानों के अनुरूप होने चाहिए।

साक्षात्कार के दौरान

आपसे जो प्रश्न पूछे जाएँ, उन पर पूरा ध्यान दें। हालाँकि वे सरल और सीधे लग सकते हैं, लेकिन आपके **उत्तर रिकॉर्ड किए जाएँगे** और बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूके सरकार आपके द्वारा दी गई जानकारी की अन्य सभी साक्षात्कारों या बयानों (पिछले या भविष्य में) में दी गई **जानकारी से तुलना** करेगी।

साक्षात्कार के बाद

यूके सरकार का साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार के दौरान आपके द्वारा कही गई बातों को नोट करेंगे।

- आपको इस स्क्रीनिंग साक्षात्कार के **रिकॉर्ड की एक प्रति** मांगनी चाहिए
- यदि कर सकें तो उत्तरों की **सटीकता** की जांच करें
- इसे अपने **वकील को दें** और कहें कि वे आपके साथ इसकी जांच करें। यदि कोई गलती है, तो आप **होम ऑफिस को बता सकते** हैं।